माध्यमिक शिक्षा से संबंधित नीतियां एवं योजनाएं

(Policies and schemes related to secondary Education)

माध्यमिक शिक्षा का अर्थ (Meaning of Secondary Education):

माध्यमिक शिक्षा का शाब्दिक अर्थ है " मध्य शिक्षा "। यदि प्राथमिक शिक्षा को शिक्षा का प्रथम सोपान माना जाए और विश्वविद्यालय शिक्षा को शिक्षा का तीसरा अथवा अन्तिम सोपान माना जाए तो माध्यमिक शिक्षा को दूसरा सोपान अथवा इन दोनों के बीच की कड़ी कहा जा सकता है । माध्यमिक शिक्षा की परिभाषा एक विवादपूर्ण विषय है । अभी इसकी परिभाषा निश्चित नहीं की जा सकती कि यह कहाँ से आरम्भ होती है तथा कहाँ तक चलती है। वैसे प्राय : माध्यमिक शिक्षा का तात्पर्य उस शिक्षा से है जो प्राथमिक शिक्षा पूरी करने के बाद विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करती है । यह शिक्षा विश्वविद्यालय शिक्षा से पहले की शिक्षा है और प्राथिमक शिक्षा के बाद की । प्राय: माध्यमिक शिक्षा के 3 रूप भारत में देखने को मिलते हैं- (1) सेकेण्डरी शिक्षा , 9 से 10 (3) सीनियर सेकेण्डरी शिक्षा , कक्षा 11 तथा 12 (4) कक्षा 9 से 12 ।

यह शिक्षा किशोरों की शिक्षा भी कही जाती है । इसमें उनकी विभिन्न आवश्यकताओं पर ध्यान दिया जाता है । इस शिक्षा में प्राथमिक स्तर पर प्राप्त शैक्षिक उपलब्धियों को परिपक्वता दी जाती है । ज्ञान तथा कौशलों को विस्तृत एवं जीवनोपयोगी बनाने और मूल्यों और आदतों का निर्माण करने पर बल दिया जाता है । यह शिक्षा एक पूर्ण इकाई भी हो सकती है अर्थात् इसके पश्चात् सभी छात्रों को विश्वविद्यालय

शिक्षा की आवश्यकता नहीं रहती । इस शिक्षा द्वारा छात्र स्वावलम्बी (Self - sufficient) भी हो सकते हैं । यह शिक्षा सामान्य (General) अथवा विशिष्ट (Specialised) भी हो सकती है ।

भारत में माध्यमिक शिक्षा के विभिन्न पक्षों से संबंधित कमियों में सुधार, सुदृढ़ीकरण एवं विकास हेतु समय-समय पर विभिन्न नीतियां एवं योजनाएं आती रही हैं जिनमें कुछ प्रमुख नीतियां एवं योजनाएं निम्नलिखित हैं-

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968

(i) माध्यमिक (तथा उच्च) शिक्षा सामाजिक परिवर्तन तथा रूपान्तरण करने का एक प्रमुख साधन है । अत: माध्यमिक शिक्षा की सुविधाएं तेजी से उन क्षेत्रों तथा वर्गों को भी दी जानी चाहिए जिनको अभी तक ये सुविधायें प्राप्त नहीं हैं ।

(ii) माध्यमिक स्तर पर तकनीकों तथा व्यावसायिक शिक्षा की सुविधाओं को बढ़ाये जाने की आवश्यकता है । माध्यमिक तथा व्यावसायिक शिक्षा की सुविधाओं का प्रावधान मोटे तौर पर विकासशील अर्थव्यवस्था तथा रोजगार के वास्तविक अवसरों के अनुरूप होना चाहिए । माध्यमिक स्तर पर तकनीकी व व्यावसायिक शिक्षा को प्रभावी ढंग से समापन स्तर को बनाने के लिए यह सम्बन्ध आवश्यक है । तकनीकी

तथा व्यावसायिक शिक्षा की सुविधायें विभिन्न क्षेत्रों जैसे कृषि , उद्योग , व्यापार व वाणिज्य , चिकित्सा व जनस्वास्थ्य , गृह प्रबन्ध , कला व शिल्प , सचिवालय प्रशिक्षण आदि में विस्तृत की जानी चाहिए ।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1979

माध्यमिक शिक्षा एवं उच्च शिक्षा प्राथमिक शिक्षा की नींव जितनी मजबूत होगी उतनी ही सशक्त माध्यमिक शिक्षा होगी । माध्यमिक शिक्षा पर ही छात्रों का ज्ञान तथा कौशल निर्भर करता है । जिससे जीवन में किसी भी आर्थिक क्षेत्र में जा सकते हैं । माध्यमिक शिक्षा वह बिन्दु है जहाँ पर आकर छात्र किसी भी दिशा में जा सकता है । चाहे वह व्यावसायिक क्षेत्र हो अथवा आगे की शिक्षा प्राप्त करनी हो । इसलिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने ग्रामीण व नगरीय क्षेत्र के बीच दूरी कम करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों व छोटे शहरों में माध्यमिक शिक्षा की सुविधाओं को बढ़ाना होगा । साथ ही ऐसे व्यावसायिक कार्यक्रमों को लागू करना चाहिए जो स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप एवं रोजगार परक हों ।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986

माध्यमिक शिक्षा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने माध्यमिक शिक्षा के विस्तार के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यालयों की स्थापना का निर्णय लिया । स्वतंत्र भारत में प्रथम बार ऐसे विद्यालयों के लिए राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम का सुझाव दिया गया जिसका नाम गतिनिर्धारक विद्यालय (Pace - setting Schools) होगा । ऐसे विद्यालय योग्य और बुद्धिमान बच्चों के लिए होंगे , विशेष रूप से गाँव के बच्चों के लिए इनका चुनाव बहुत ही सावधानी से समानता और सामाजिक न्याय की दृष्टि से किया जायेगा । इस प्रकार के सभी विद्यालय आवासीय होंगे और इनमें निःशुल्क शिक्षा दी जायेगी । ऐसे विद्यालय नवोदय विद्यालयों के नाम से स्थापित किये जा चुके हैं और सारे देश में फैल चुके हैं ।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में यह सिफारिश भी की गयी है कि 10 प्रतिशत विद्यालयों में 1990 तक व्यावसायिक पाठ्यक्रम आरम्भ किये जायेंगे जिन्हें सन 1995 तक बढ़ाकर 25 प्रतिशत विद्यालयों में कर दिया जायेगा । इन व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की विषय - वस्तु एवं प्रकृति पुराने घिसे पिटे कार्यक्रमों से भिन्न होगी । ये उभरती हुवी प्रौद्योगिकी और आर्थिक प्रगति के अनुरूप होंगे । उत्पादन के प्राथमिक एवं द्वितीयक क्षेत्रकों के लिए कुशल मानव शक्ति का निर्माण करने वाले परम्परागत पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त इस नीति ने तृतीयक सेवायें जैसे- स्वास्थ्य , विपणन तथा अन्य सामाजिक सेवाओं के लिए व्यक्तियों को प्रशिक्षित करने वाले पाठ्यक्रमों पर भी बल दिया ।

नई शिक्षा नीति में +2 स्तर के लिए विशेष पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त उचित परन्तु लचीले , निरौपचारिक व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की कल्पना भी की गयी । ये कार्यक्रम उन नवयुवकों के लिए होगे जो प्राथमिक स्तर के बाद पढ़ाई छोड़ देते हैं ।

पुनः संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992

जनार्दन रेड्डी समिति ने 10+2+3 शिक्षा प्रणाली को जारी रखने की सिफारिश की। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रचना, विशिष्ट बालकों की शिक्षा, माध्यमिक स्कूलों का विषय, सामान्य विद्यालय संरचना ,गुणात्मक शिक्षा आधुनिकीकरण पाठ्यक्रम की पुनर्रचना पर बल दिया।

प्रतिवर्ष 50 नए नवोदय विद्यालय खोले जाएंगे और प्रत्येक जिले में एक नवोदय विद्यालय हो।